

महत्वपूर्ण

संख्या- 945/अडतीस-5-2015-16 सम/ 2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2015

विषय:-मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पेयजल के सेवन से हुई मृत्यु पर समुचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


श्री सौरभ सिंह, इनरवायस फाउण्डेशन, बलिया (उ0प्र0) द्वारा जनपद-बलिया में भूजल में आर्सेनिक की समस्या के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की गयी शिकायत (केस संख्या-17978/24/10/2013/यू0सी0) के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश दिनांक 08.06.2015 के बिन्दु संख्या-6 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :-

"To award suitable compensation to NOK of the deceased who died due to disease caused by consuming arsenic contaminated water in the affected districts of UP and Bihar."

2-

इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी क्षेत्र में आर्सेनिक युक्त पानी के पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने का कोई केस संज्ञान में आता है, तो कृपया ऐसे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच करायी जाय। यदि जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि सुरक्षित पेयजल के स्रोत मृतक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराये गये थे, और इसी कारण मजबूरी में आर्सेनिक युक्त पानी पीने से उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे मामले में मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से उचित मुआवजे की धनराशि मृतक व्यक्ति के परिवार को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,



(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 945 (1) /अडतीस-5-2015-16 सम/ 2014, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा/ झॉसी मण्डल, झॉसी।

आज्ञा से,


(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या- 545/अडतीस-5-2015-16 सम/ 2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2015

विषय:-मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पेयजल के सेवन से हुई मृत्यु पर समुचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

श्री सौरभ सिंह, इनरवायस फाउण्डेशन, बलिया (उ0प्र0) द्वारा जनपद-बलिया में भूजल में आर्सेनिक की समस्या के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की गयी शिकायत (केस संख्या-17978/24/10/2013/यू0सी0) के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश दिनांक 08.06.2015 के बिन्दु संख्या-6 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :-

"To award suitable compensation to NOK of the deceased who died due to disease caused by consuming arsenic contaminated water in the affected districts of UP and Bihar."

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी क्षेत्र में आर्सेनिक युक्त पानी के पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने का कोई केस संज्ञान में आता है, तो कृपया ऐसे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच करायी जाय। यदि जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि सुरक्षित पेयजल के स्रोत मृतक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराये गये थे, और इसी कारण मजबूरी में आर्सेनिक युक्त पानी पीने से उसकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे मामले में मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से उचित मुआवजे की धनराशि मृतक व्यक्ति के परिवार को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,



(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 545 (1) /अडतीस-5-2015-16 सम/ 2014, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बौदा/ झॉसी मण्डल, झॉसी।

आज्ञा से,


(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।